प्र.क. आर.सी.टी. 589/2022
शासन वि. सर्जन।

10-01-2026

राज्य द्वारा ए.डी.पी.ओ.।
प्रकरण मूल अभिलेख की प्रतिक्षा हेतु नियत है।
मूल अभिलेख अभिलेखागार गुना से प्राप्त।
प्रकरण को पुनः नंबर पर लिया जाये।
प्रकरण का अवलोकन किया गया।

प्रकरण के अवलोकन से दर्शित है कि पुलिस आरक्षी केन्द्र चाचौडा, जिला गुना म.प्र. द्वारा अभियुक्त के विरूद्ध धारा 25(1–ख)(ए) आयुध अधिनियम के अंतर्गत अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया था। प्रकरण में अभियुक्त के अभियोजन साक्ष्य के स्थर पर अनुपस्थित होने पर अभियुक्त के विरूद्ध गिरफतारी वारंट जारी किये जा रहे थे, इसके पश्चात् भी अभियुक्त की उपस्थिति सुनिश्चित नहीं होने पर दिनांक 26.06.2025 को अभियुक्त के विरूद्ध स्थायी गिरफतारी वारंट जारी किया गया था। अभियुक्त के विरूद्ध जारी उक्त गिरफतारी वारंट दिनांक 23.12.2025 को अभियुक्त के फौत होने की टीप के साथ मय थाना प्रभारी की सील सहित अभियुक्त के मृत्यु प्रमाण पत्र की छाया प्रति के वापस प्राप्त हुआ, जिसके अवलोकन से अभियुक्त की दिनांक 21.10.2024 को मृत्यु होना दर्शित होता है। अतः **अभियुक्त सर्जन पुत्र रामभरोसा भील, उम्र 26 वर्ष, निवासी ग्राम पीपलखेडी, चाचौडा, जिला गुना म.प्र.** को फौत घोषित किया जाता है तथा उसके विरूद्ध प्रकरण में कार्यवाही उपसमित की जाती है।

अभियुक्त के जमानत प्रतिभूति एवं मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

प्रकरण में जप्तशुदा सम्पत्ति एक देशी कट्टा एवं एक जिंदा राउंड विधिवत निराकरण हेतु जिला दंडाधिकारी गुना म.प्र. को भेजा जायें।

प्रकरण का परिणाम सी.आई.एस. में दर्ज कर, अभिलेख समयावधि में अभिलेखागार भेजा जाये।

PRIYAM SEN

Digitally signed by PRIYAM SEN
Date: 2026.01.10 17:40:18 +0530

(सुश्री प्रियम सेन)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
चाचौड़ा, जिला गुना म.प्र.